भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1550
(09 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

सीतापुर में मनरेगा के अंतर्गत अनियमितताएं

1550. श्री राकेश राठौर:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के विभिन्न विकास खंडों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कार्यान्वयन में व्यापक अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि कुछ स्थानीय अधिकारी अक्सर ग्राम पंचायतों से संबंधित कार्यों के लिए पंचायत प्रतिनिधियों, ठेकेदारों और मजदूरों से कथित तौर पर कमीशन की मांग करते हैं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा अब तक कोई जांच की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है और यदि हाँ , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा मनरेगा के अंतर्गत पारदर्शिता और सामाजिक लेखा-जोखा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (घ): चूंकि जमीनी स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, अत: उत्तर प्रदेश सरकार से एक रिपोर्ट मांगी गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति **अनुबंध** में दी गई है।

(ङ): महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए , नरेगासॉफ्ट की वास्तविक समय आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) , राष्ट्रीय मोबाइल

निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने, आधार आधारित भुगतान ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस), परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग, सामाजिक लेखापरीक्षा, युक्तधारा योजना निर्माण पोर्टल और जलदूत ऐप सहित विभिन्न उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। इन पहलों ने ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र योजना दक्षता में वृद्धि की है, निगरानी को मजबूत किया है, अनियमितताओं की गुंजाइश कम की है और इस योजना का जवाबदेह और पारदर्शी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया है।

लोक सभा में दिनांक 09.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1550 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के विभिन्न विकास ब्लॉकों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) के कार्यान्वयन में व्यापक अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जानकारी है;	(क) मनरेगा के तहत आवास मजदूरी पात्र लाभार्थियों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खातों में जमा किए जाने सहित कई परिवारों द्वारा दो या दो से अधिक जॉब कार्ड रखने से संबंधित मुद्दे और अनियमित जॉब कार्ड हटाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
(ख) क्या सरकार को पता है कि कुछ स्थानीय अधिकारी प्राय: ग्राम पंचायतों से संबंधित कार्यों के लिए पंचायत प्रतिनिधियों, ठेकेदारों और श्रमिकों से कमीशन मांगते हैं;	(ख) सूचित की गई अनियमितताओं के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त, विकास ब्लॉक बिस्वान के ग्राम पंचायत सचिव को कमीशन लेते हुए सतर्कता टीम द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया था।
(ग) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार द्वारा अब तक कोई जांच की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;	(ग) उपर्युक्त घटना की जानकारी प्राप्त होने के बाद, एक प्राथमिकी दर्ज की गई, और अभियुक्त को जेल भेजने के लिए कार्रवाई शुरू की गई।
(घ) क्या किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और	(घ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बिस्वान ब्लॉक के ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर कई विकास ब्लॉकों में वसूली की कार्यवाही भी शुरू की गई है।